



अप्रमोड/सम

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर:4, नेहरू प्लेस, टॉक रोड, जयपुर-302015, दूरभाष नं. 0141-2743137-40

Regional Office Jaipur: 4, Nehru Place, Tonk Road, Jaipur-302015, Phone no. 0141-2743137-40

क्रमांक: एसएण्डएस.4(1)/ आरओजे/ एनएफएसए आवंटन/ 2019-20/ 62

दिनांक: 05.08.2019

मण्डल प्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
मण्डल कार्यालय,
अजमेर/ अलवर/ बीकानेर/ जयपुर/
जोधपुर/ कोटा/ श्रीगंगानगर/ उदयपुर

आवश्यक/ ई- मेल

- 7 AUG 2019

विषय: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित खाद्यान्न माह सितम्बर, 2019 के लिए राजस्व जिलेवार/ श्रेणीवार {AAY, BPL, SBPL एवं PHH (Others)} गेहूं के उप आवंटन मात्रा 2,31,958.155 एमटी के सन्दर्भ में
सन्दर्भ: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ 13 (1)/ खा.वि./ आवंटन/ खाद्य सुरक्षा/ 2018- II, जयपुर दिनांक 02.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा प्रेषित माह सितम्बर, 2019 के लिए पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु राजस्व जिलेवार/ श्रेणीवार {AAY, BPL, SBPL एवं PHH (Others)} गेहूं के आवंटन की छायाप्रतियाँ संलग्न कर लेख है कि पत्र के साथ संलग्नक में दिए गए निर्देशानुसार, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के दिनांक 30.04.2019 द्वारा जारी खाद्यान्न उठाव से सम्बंधित नवीनतम दिशा- निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारियों को आवंटित गेहूं की मात्रा के अनुरूप निर्गमन आदेश NFSA-AAY तथा NFSA-PHH {BPL, SBPL एवं PHH (Others)} श्रेणियों में जारी करें तथा खाद्यान्न का उठाव भी श्रेणीवार ही निर्धारित वैधता अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें तथा साथ ही आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न गेहूं का भंडारण भी सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

05/08/2019

प्रबंधक (स्कन्ध एवं बिक्री)

कृते सहायक महाप्रबंधक(स्कन्ध एवं बिक्री)

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली---- को सूचनार्थी।
2. कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (उत्तर) नोयडा---- को सूचनार्थी।
3. उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर---- को सूचनार्थी।
4. सहायक महाप्रबंधक (परिचालन), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर से अनुरोध है कि राज्य सरकार को आवंटित गेहूं की मात्रानुसार सम्बंधित भंडारण केन्द्रों पर क्षेत्र प्रबंधकों से संपर्क में रहते हुए समय से गेहूं की उपलब्धता हेतु आवश्यकतानुसार परिचालन करवाना सुनिश्चित करावें ताकि आवंटित मात्रा के उठाव के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।
5. सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा/ गुण नियंत्रण/ भंडारण), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थी प्रेषित है।